

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13022020-216129
CG-DL-E-13022020-216129

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58]	नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 12, 2020/माघ 23, 1941
No. 58]	NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 12, 2020/MAGHA 23, 1941

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2020

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2020

सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.055- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2020 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 40ख में, उप-विनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(4) इस विनियम के अधीन या तो सुधार, अद्यतन करके या अन्यथा, प्रस्तुत किए जाने की तारीख के पश्चात् प्ररूप फाइल करने पर उसके साथ 1 अप्रैल, 2020 के पश्चात् विलंब के प्रत्येक कलेंडर मास के लिए प्रति प्ररूप पांच सौ रुपए की फीस संलग्न की जाएगी।

उदाहरण: कोई प्ररूप 30 अप्रैल, 2020 तक फाइल किया जाना अपेक्षित है। वह निम्नानुसार फीस सहित फाइल किया जाएगा:

यदि निम्नलिखित तारीख को फाइल किया जाता है	फीस (रुपयों में)
29 अप्रैल, 2020	0
30 अप्रैल, 2020	0
1 मई, 2020	500
मई, 2020 में किसी दिन	1000
जून, 2020 में किसी दिन	1500”

डा. नवरंग सैनी पूर्णकालिक सदस्य

[विज्ञापन-III/4/असा./446/19]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 सं. 432, तारीख 30 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.004, तारीख 30 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें तत्पश्चात्

(1) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 सं. 318, तारीख 16 अगस्त, 2017 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.013, तारीख 16 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2017;

(2) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 सं. 386, तारीख 5 अक्तूबर, 2017 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.018, तारीख 5 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017;

(3) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 सं. 432, तारीख 7 नवम्बर, 2017 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर. ई.जी.019, तारीख 7 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017;

(4) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 सं. 01, तारीख 1 जनवरी, 2018 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर. ई.जी.022, तारीख 31 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2017;

(5) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 सं. 49, तारीख 6 फरवरी, 2018 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर. ई.जी.024, तारीख 6 फरवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2018;

(6) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 सं. 124, तारीख 28 मार्च, 2018 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर. ई.जी.030, तारीख 27 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018;

(7) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 सं. 253, तारीख 4 जुलाई, 2018 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2018-19/जी.एन./आर. ई.जी.031, तारीख 3 जुलाई, 2018 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018;

(8) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 4 सं. 372, तारीख 5 अक्तूबर, 2018 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2018-19/जी.एन./आर.ई.जी.032, तारीख 5 अक्तूबर, 2018 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2018;

(9) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 सं. 21, तारीख 24 जनवरी, 2019 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर. ई.जी.040, तारीख 24 जनवरी, 2019 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2019;

(10) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 सं. 267, तारीख 25 जुलाई, 2019 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.048, तारीख 25 जुलाई, 2019 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019; और

(11) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 सं. 429, तारीख 27 नवम्बर, 2019 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर. ई.जी.052, तारीख 28 नवम्बर, 2019 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019

द्वारा संशोधन किए गए थे।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th February, 2020

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2020.

No. IBBI/2019-20/GN/REG055.—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, in regulation 40B, for sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

“(4) The filing of a Form under this regulation after due date of submission, whether by correction, updation or otherwise, shall be accompanied by a fee of five hundred rupees per Form for each calendar month of delay after 1st April, 2020.

Example: A Form is required to be filed by 30th April, 2020. It shall be filed along with a fee as under:

If filed on	Fee (in Rupees)
29 th April, 2020	0
30 th April, 2020	0
1 st May, 2020	500
Any day in May, 2020	1000
Any day in June, 2020	1500”

DR. NAVRANG SAINI, Whole Time Member

[ADVT.- III/4/Ext./446/19]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 were published *vide* Notification No. IBBI/2016-17/GN/REG004, dated 30th November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 432 on 30th November, 2016 and were subsequently amended by-

(1) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2017 published *vide* Notification No. IBBI/2017-18/GN/REG013, dated the 16th August, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 318 on 16th August, 2017;

(2) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2017 published *vide* Notification No. IBBI/2017-18/GN/REG018, dated the 5th October, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 386 on 5th October, 2017;

(3) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Third Amendment) Regulations, 2017 published *vide* Notification No. IBBI/2017-18/GN/REG019 dated the 7th November, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 432 on 7th November, 2017;

(4) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Fourth Amendment) Regulations, 2017 published *vide* Notification No. IBBI/2017-18/GN/REG22, dated the 31st December, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 01 on 1st January, 2018;

- (5) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2018 published *vide* Notification No. IBBI/2017-18/GN/REG024, dated the 6th February, 2018 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 49 on 6th February, 2018;
- (6) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2018 published *vide* Notification No. IBBI/2017-18/GN/REG030, dated the 27th March, 2018 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 124 on 28th March, 2018;
- (7) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Third Amendment) Regulations, 2018 published *vide* Notification No. IBBI/2018-19/GN/REG031, dated the 3rd July, 2018 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 253 on 4th July, 2018;
- (8) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Fourth Amendment) Regulations, 2018 published *vide* Notification No. IBBI/2018-19/GN/REG032, dated the 5th October, 2018 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 372 on 5th October, 2018;
- (9) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2019 published *vide* Notification No. IBBI/2019-20/GN/REG040, dated the 24th January, 2019 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 21 on 24th January, 2019;
- (10) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2019 published *vide* Notification No. IBBI/2019-20/GN/REG048, dated the 25th July, 2019 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 267 on 25th July, 2019; and
- (11) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Third Amendment) Regulations, 2019 published *vide* Notification No. IBBI/2019-20/GN/REG052, dated the 27th November, 2019 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 429 on 28th November, 2019.